सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री नरेश कुमार मालव (आर.ए.एस.)

**प्रकरण संख्या :– 190/2016**

**बउनवान**

मुकेश पुत्र हंसराज जाति कुम्हार निवासी बारां तहसील बारां

**(अपीलांट)**

**बनाम**

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला बारां

**(रेस्पोडेन्ट)**

**अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम,1956**

उपस्थित :– 1– श्री नन्दकिशोर गुर्जर अभिभाषक **(अपीलांट)**
2– पेरोकार सरकार **(रेस्पोडेन्ट)**

**निर्णय दिनांक 09.01.2018**

अपील न्यायालय जिला कलक्टर बारां द्वारा अन्तरित की गई है। अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के प्रकरण संख्या 63/2015 किस्म धारा 91 एल.आर. एक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 28.07.2015 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम मण्डोला की किस्म माल । भूमि खसरा नम्बर 2427 की रकबा 0.08 हेक्टयर भूमि पर ईटभट्टा लगाकर अतिक्रमण करने पर अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 1500/– रूपये शास्ति से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर प्रकरण दिनांक 11.4.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर, पत्रावली मे बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपीलांट के विरूद्व एकतरफा पारित किया गया है तथा अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नही दिया गया है, उक्त विवादित आराजी खातेदारी की भूमि है, जिस पर अपीलांट द्वारा ईट भट्टा संचालित किया जा रहा है। अपीलांट के विरूद्व अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत की गई है, पत्रावली मे संलग्न पटवारी हल्का मण्डोला की रिपोर्ट दिनांक 29.03.2016 से भूमि खातेदारी की होना प्रमाणित है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र पटवारी हल्का के बयानों के आधार पर अतिक्रमी माना है अपीलांट जाति से कुम्हार है एवं ईट निर्माण करना उसका पुश्तेनी व्यवसाय है, अपीलांट वर्णित आराजियात कर पिछले कई वर्षो से ईटो का भट्टा लगाकर अपने परिवार का पेट पालन करता चला आ रहा है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना भी जमा करवा दिया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया

अतिरिक्त जिला कलक्टर

जाकर, अपीलांट को सजा से बरी किया जाकर, अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रकरण संख्या 63/2015 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट मे पारित आदेश दिनांक 28.7.2015 वाके ग्राम मन्डोला की भूमि खसरा नम्बर 2427 की रकबा 0.08 हेक्टयर भूमि किस्म माल 1 पर ईट भट्टा लगाकर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुये पारित किया गया है।

किन्तु पटवारी हल्का मण्डोला की रिपोर्ट दिनांक 29.03.2016 के मुताबिक खसरा नंबर 2427 खातेदार चम्पालाल, शंकरलाल, लक्ष्मीनारायण पुत्र जगन्नाथ धाकड़ साकिन देह के नाम दर्ज है। अतिक्रमी का सिवायचक भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है।

हमने अपीलांट के अभिभाषक एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल पत्रावली का अवलोकन किया, साथ ही प्रकरण मे पटवारी मण्डोला की रिपोर्ट दिनांक 29.03.2016 का अवलोकन किया गया। जिससे पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बारां द्वारा प्रकरण संख्या 63/2015 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 मे पारित आदेश दिनांक 28.07.2015 वाके ग्राम मण्डोला की किस्म माल 1 भूमि खसरा नम्बर 2427 की रकबा 008 हेक्टयर भूमि पर अपीलांट द्वारा लगाया गया ईंट भट्टा खातेदार चम्पालाल, शंकरलाल, लक्ष्मीनारायण पुत्र जगन्नाथ धाकड़ साकिन देह की खातेदारी की भूमि पर स्थित होना पटवारी, पटवार मण्डल मण्डोला की रिपोर्ट दिनांक 29.03.2016 से प्रमाणित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.07.2015 मे तकनीकी त्रुटी प्रतीत होती है।

परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बारां द्वारा प्रकरण संख्या 63/2015 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 28.07.2015 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार बारां अपीलांट के विरूद्व अन्य खसरा नम्बर के लिए विधि अनुरूप नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतन्त्र है।

आदेश आज दिनांक 09.01.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

( वासुदेव मालावत )
अति0 जिला कलक्टर,
बारां